

ग्राम पंचायत भरनाल, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भरनाल, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र कुमार, राणा	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्रीमती माया देवी	23.1.16 से लगातार

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री प्रकाश चन्द	1.4.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत भरनाल के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तर्शेष में अन्तर	0.14
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.15
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	16.97
5	7	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.41
6	8	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.55

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत भरनाल, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 3.10.17 से 7.10.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	08 / 2014	02 / 2015
2015—16	03 / 2016	11 / 2015
2016—17	03 / 2017	02 / 2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत भरनाल, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 7.10.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत भरनाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 संयुक्त वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ		कुल योग	व्यय/भुगतान		कुल व्यय	अन्तशेष
		स्व:स्त्रोत	अनुदान		स्व:स्त्रोत	अनुदान		
2014—15	418052	56586	5083728	5558366	33970	4961835	4995805	562561

2015—16	562561	43130	4247976	4853667	32008	3618052	3650060	1203607
2016—17	1203607	82406	4373445.92	5659458.92	51938	3849060	3900998	1758460.92

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.14 लाख का अन्तर:—

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष	₹1758460.92
दिनांक 31.3.2017 को बैंकों में जमा राशि	₹1771965.92
(संलग्न परिशिष्ट—II)	
अन्तर	₹13505.00

समय पर बैंक खातों का रोकड़ बही के अन्तशेष के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंकों का शेष रोकड़ बही के अन्तशेष की तुलना में ₹13505 अधिक पाया गया, तथा अन्तशेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 6.10.17 द्वारा सचिव को निर्देश दिये गये, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक बैंक खातों के शेष का रोकड़ बही के अन्तशेष के साथ मिलान नहीं किया गया। अतः अंकेक्षण अधियाचना की अनुपालना अतिशीघ्र की जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाये।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:—

ग्राम पंचायत भरनाल की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भर्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना, नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न परिशिष्ट—III के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹14930 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹16.97 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹1697295.12 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था/विभाग को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.41 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ (निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-IV** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹40880 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 ₹0.55 लाख क्रय सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-V** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹54620 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत की माप पुस्तिकाओं में की गई विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं की प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद पंचायत प्रधान द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत भी करवाया जाए।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्ट्रों व अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** अंकेक्षण के दौरान पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

13 **निष्कर्ष:-** ग्राम पंचायत भरनाल के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 37/2017-खण्ड-1-2490-2493 दिनांक
09.04.2018 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भरनाल, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
0177-2620881